न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– रणजीत कुमार आर.ए.एस.

अनवान :– प्रार्थना पत्र संख्या 196/2022

मैनेजिंग कमेटी श्री गुरूनानक खालसा कॉलेज एण्ड स्कूलस श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर जरिये सचिव मैनेजिंग कमेटी अवतार सिंह बराड

– – प्रार्थी

–:: बनाम ::–

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व, श्री गंगानगर ।

– – अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

– :: उपस्थित अभिभाषक :: –

अधिवक्ता श्री दलबार सिंह बराड़	प्रार्थी
पैरोकार राज	अप्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

– :: आदेश ::–

दिनांक :– 15.07.2025

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि चक 5 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 64/26 के मुरब्बा नम्बर 14, 29, 30 में कुल 10.9180 गैरमुमकिन मय खाला दर्ज है, जिसमें रकबा मैनेजिंग कमेटी खालसा हाई स्कूल श्रीगंगानगर के नाम से दर्ज है तथा इसी प्रकार से चक 6 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 76/64 के मुरब्बा नम्बर 12, 8, मे 8.600 नहरी रकबा दर्ज है, जो रकबा श्री गुरूनानक खालसा कॉलेज के नाम से दर्ज है, जो अलग–अलग संस्था नही है बल्कि एक ही संस्था है। जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073 एवं 2071–2074 संलग्न वाद पत्र है। वर्तमान में राजस्व रिकार्ड में मैनेजिंग कमेटी खालसा हाई स्कूल श्रीगंगानगर एवं श्री गुरूनानक खालसा कॉलेज के नाम से उक्त रकबा दर्ज है लेकिन वर्तमान में अब वादी संस्थान का नाम सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र में गवर्निंग काउसिंल फार श्री गुरूनानक खालसा कॉलजेस एवं खालसा स्कूलस श्रीगंगानगर अंकित कर किया है जिसका पंजीयन संख्या 144/1970–1971 दिनांक 28.4.2022 जारी शुदा है। इस लिये अब वादी संस्था वादी मैनेजिंग कमेटी खालसा हाई स्कूल श्रीगंगानगर एवं श्री गुरूनानक खालसा कॉलेज कमेटी खालसा हाई स्कूल श्रीगंगानगर के स्थान पर अपना नाम राजस्व रिकार्ड में गवर्निंग काउसिंल फार श्री गुरूनानक खालसा कॉलजेस एवं खालसा स्कूलस श्रीगंगानगर अंकित करवाने की घोषणा करवाना चाहता है। वादी संस्था को जब सहकारिता विभाग से प्रमाण पत्र दिनांक 28.4.2022 को प्राप्त हुआ तो वादी संस्था को इस बात ज्ञान हुआ है और बिना देरी किये वाद पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। वादी संस्थान का नाम मैनेजिंग कमेटी खालसा हाई

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

स्कूल श्रीगंगानगर एवं श्री गुरूनानक खालसा कॉलेज कमेटी खालसा हाई स्कूल श्रीगंगानगर से दुरूस्त कर गवर्निग काउसिंल फार श्री गुरूनानक खालसा कॉलजेस एवं खालसा स्कूलस श्रीगंगानगर अंकित किया जावे इस दुरूस्ती से किसी के अधिकारो पर किसी भी प्रकार का विपरीत प्रभाव नही पडेगा। वादग्रस्त कृषि भूमि 5 जैड व 6 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर में स्थित है, जो कि श्रीमान न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है । अतः वाद वादी पेश करके निवेदन है कि वादी के हक में निम्न प्रकार से वाद डिकी फरमाया जावेः–

1– कि चक 5 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 64/26 के मुरब्बा नम्बर 14, 29, 30 में कुल 10.9180 गैरमुमकिन मय खाला दर्ज है, जिसमें रकबा मैनेजिंग कमेटी खालसा हाई स्कूल श्रीगंगानगर के नाम से दर्ज है तथा इसी प्रकार से चक 6 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 76/64 के मुरब्बा नम्बर 1, 2, 8, मे 8.600 नहरी रकबा के राजस्व रिकार्ड में दर्ज है चूँकि अब रजिस्ट्रार सहकारिता विभाग द्वारा इस संस्था का नाम अपने आदेश दिनांक 28.4.2022 द्वारा परिवर्तित कर गवर्निग काउसिंल फार श्री गुरूनानक खालसा कॉलजेस एवं खालसा स्कूलस श्रीगंगानगर अंकन कर दिया है इसलिये वादी संस्थान का नाम मैनेजिंग कमेटी खालसा हाई स्कूल श्रीगंगानगर एवं श्री गुरूनानक खालसा कॉलेज कमेटी खालसा हाई स्कूल श्रीगंगानगर से दुरूस्त गवर्निग काउसिंल फार श्री गुरूनानक खालसा कॉलजेस एवं खालसा स्कूलस श्रीगंगानगर जिला श्रीगंगानगर(शैक्षिणक संस्थान) का अंकन किया जाने का आदेश प्रदान कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

2 – यह कि अन्य अनुतोष जो न्यायालय न्यायोचित समझे, वादी को दिलाया जावे।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार(राजस्व), श्रीगंगानगर से रिपोर्ट प्राप्त की मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट उक्त विषयक के सम्बन्ध में पटवारी हलका से जांच रिपोर्ट ली गई। मुताबिक जांच रिपोर्ट उक्त विषयक के सम्बन्ध में पटवारी हलका से रिपोर्ट ली गई। मुताबिक जांच रिपोर्ट पटवारी हलका आराजी चक 5 जैड के खाता संख्या 64 के मुरब्बा नम्बर 14, 29,30= 10.4270 हैक. गैर मुमकिन मय खाला मैनेजिंग कमेटी खालसा हाई स्कूल श्रीगंगानगर के नाम से राजस्व रिकार्ड दर्ज है। सहकारिता विभाग द्वारा जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र संख्या 144/1970–71 दिनांक 28.04.2022 के अनुसार रिकार्ड में नाम परिवर्तन करवाना चाहते है। उक्त रकबे पर आदिनांक तक कोई स्थगन आदेश नहीं है। वस्तुस्थिति की रिपोर्ट श्रीमान जी की सेवा में अग्रीम कार्यवाही हेतु पेश हैं ।

वकील प्रार्थी द्वारा बहस में प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया। वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा प्रेषित रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी सम्वत् 2070–2073 चक 5 जैड, पटवार हल्का 4 जैड, भू.अ.नि. चकमहाराजका खाता संख्या 64/26, जमाबंदी सम्वत् 2071–2074 चक 6 जैड, पटवार हलका रामनगर भू.अ.नि. रामनगर खाता संख्या 76/64, मैनेजिंग कमेटी एस.जी.एन. खालसा कॉलेज एण्ड स्कूल श्रीगंगानगर का पत्र कमांक 2022–3/1305 दिनांक 07.12.2022, सहकारिता विभाग रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र के कमांक संख्या 144–1970–71 दिनांक 28.04.2022 एवं

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात, सहकारिता विभाग रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र के कमांक संख्या 144-1970-71 दिनांक 28.04.2022 एवं तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चक 5 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 64/26 के मुरब्बा नम्बर 14, 29, 30 में कुल 10.9180 गैरमुमकिन मय खाला दर्ज है, जिसमें रकबा मैनेजिंग कमेटी खालसा हाई स्कूल श्रीगंगानगर के नाम से दर्ज है तथा इसी प्रकार से चक 6 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 76/64 के मुरब्बा नम्बर 1, 2, 8, में 8.600 नहरी रकबा के राजस्व रिकार्ड में दर्ज वादी संस्थान का नाम मैनेजिंग कमेटी खालसा हाई स्कूल श्रीगंगानगर एवं श्री गुरूनानक खालसा कॉलेज कमेटी खालसा हाई स्कूल श्रीगंगानगर के स्थान पर गवर्निंग काउसिंल फार श्री गुरूनानक खालसा कॉलजेस एवं खालसा स्कूलस श्रीगंगानगर जिला श्रीगंगानगर दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार(राजस्व) श्रीगंगानगर नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करे।

निर्णय की प्रति तहसीलदार(राजस्व) श्रीगंगानगर को पालना हेतु भिजवाई जावे।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 15.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner